रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 1983/आषाढ़ 7, 1905
No. 106] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 1983/ASADHA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई०टी०सी० (पी०एन०)/83

नई दिल्ली, 28 जून, 1983

विषय : 1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई० पी० सी०/23/2/83.—1982-83 के लिए जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए येन 1.5 बिलियन दिनांक 1-2-1983 जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी करने के लिए लागू शर्तें जैसी इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय, सार्वजनिक सूचना सं० 21-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 28 जून, 1983 का परिशिष्ट

1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों को यातायात के लिए आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

खंड-1 सामान्य शर्तें :

1(1) 1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन (लागत एवं भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उपयोग भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों में यातायात की आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए जापानी संभरकों को वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। यह अनुदान सहायता 31-3-1984 तक वैध है।

1(2) बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को भुगतान किए जाने वाले सभी बैंक प्रभार सामान्य बैंक प्रणालियों के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन का भुगतान, यदि कोई हो तो, भारत में अधिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए।

1(3) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत इस्पात की छड़ों और उनसे अनुषंगी सेवाओं की अधिप्राप्ति केवल जापान से ही की जाएगी।

1(4) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो की जापानी संभरकों द्वारा लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करना चाहिऐ । वितरण की अवधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए

"वितरण 15-3-1984 तक पूर्ण हो जाना चाहिए"।

1(5) संविदा का मूल्य (केवल लागत एवं भाड़े के आधार पर) येन में (येन का अंश हटा देना चाहिए) प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, भारतीय अभिकर्ता या कमीशन निकाल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति मे भारतीय अभिकर्ता का मूल्य किसी अन्य मुद्रा मे प्रदर्शित नही किया जाना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग से दर्शाई जानी चाहिए, किंतु संविदा मे यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा अथवा उसमें दर्शाया गया भाड़ा वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त भुगतान की राशि होगा।

1(6) क्रय संविदा जापानी राष्ट्रिकों के साथ केवल जापानी येन मे की जानी चाहिए। खंड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप से समाविष्ट होने चाहिए —

2(1) ठेके की व्यवस्था 1982-83 के लिए येन 1 5 बिलियन के अनुदान सहायता के अनुसार भारत और जापान की सरकारों के बीच 1 फरवरी, 1983 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दोनों सरकारो के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) संभरकों को भुगतान 'भुगतान के प्राधिकार' (ए/पी) के माध्यम से किए जाएगे। जो 1982-83 के लिए जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाएगे।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक ओर भारत सरकार एवं दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगे।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की शुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोत लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-3 भारत और जापान की सरकारो द्वारा ठेके का अनुमोदन —

3(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, आयातक को दोनों पार्टियो द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप मे पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र मे "(ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन" की 2 फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी ए) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1982-83 के लिए 1 5 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित दस्तावेजो का एक सैट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार के ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जोकि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को अनुबंध 2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियो, आयातक, भारत के आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) प्राप्त करने पर बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास टोकियो, भारत मे आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरो के माध्यम से ए/पी मे उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, दस्तावेजों मे उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरक को अपने बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो की देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत मे आयातक से सबद्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को धन प्रेषित कर के निर्णीत किया जाएगा ।

खंड-4 रुपया जमा करने का दायित्व

4(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत मे आयातक के सबंध बैंक को भेजे जाएगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-1 (ड) मे उल्लिखित है, की शाखा होगी। इस बैंक की दस्तावेजो के ये विनिमय दस्तावेज केवल इस बात का सुनिश्चिय कर लेने के बाद ही सबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक की चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार के लेखे मे जमा करा दिया गया है —

> "आयातक अर्थात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) आयातित इस्पात की छडो की लागत जमा करायेगा जिसकी गणना इस्पात की मूल कीमत के आधार पर होगी, इसमें से आयातक द्वारा चुकाई गई सीमा शुल्क कर की धनराशि घटा दी जाएगी और लागत एव भाडा मूल्य की 4% धनराशि सेवा खर्च के रूप मे और अन्य खर्च जैसे संचालन, रेलवे भाडा आदि घटा दिए जाएगे। आयातित इस्पात की छडो के लागत एव भाडा मूल्य और आयातक द्वारा ऊपर तथा उल्लिखित वास्तव मे जमा कराई गई धनराशि दोनों के बीच मे आने वाले अन्तर के बाद मे इस्पात विभाग द्वारा सी ए ए एंड ए को देय सहायता की धनराशि मे समजित कर दिया जाएगा और 1983-84 के बजट में लगाया जाएगा। इस्पात विभाग और सी ए ए एंड ए के बीच समजित की जाने योग्य धनराशि पर और भारतीय बैंक टोकियो द्वारा जापानी संभरक को किए जाने योग्य भुगतान के बीच की अवधि के लिए और उनके द्वारा भारत मे अपने बैंकरों मे किए गए वास्तविक निक्षेप की तारीख के बीच की अवधि के लिए आयातक को किसी भी प्रकार का ब्याज प्रभार नही देना पडेगा।"

येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई गई मुद्रा विनिमय की दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनिमय की प्रचलित मिश्रित दर या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित दर होगी। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जैसे और जब भी आवश्यक होंगे, अधिसूचित किया जाएगा। संबंद्ध भारतीय बैंक का इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है। आयातक को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है। लेखा शीर्ष जिसमें उपर्युक्त रुपया जमा निक्षेप किया जाएगा वह है "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज-843-सिविल डिपॉजिट्स-डिपाजिट्स फार परचेजिज एट्सेट्रा, एकाउंट-परचेजज अंडर ग्रांट ऐड फ्राम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1982-83 ग्रांट फार परचेजेज ऑफ दि स्टील आइटम्स।"

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में या यदि, यह सम्भव न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (आदेशिती और प्रापक) के नाम और उसको देय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आदेशक) से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के खाते में नकद जमा करानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना-184 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-68, सं०-233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68 और सं० 132-आईटीसी (पीएन/71) दिनांक 5-10-71 में दृष्टव्य है।

4(3) चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के "धन प्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" कालम में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के 'ए/पी' (भुगतान के लिए प्राधिकारी पत्र) की सं० एवं दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ-साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि।

(घ) निक्षेप की गई कुल धनराशि।

उसके पश्चात् सी ए ए एंड ए द्वारा जारी किए गए ए/पी (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एंड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : भारत में आयातक के बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो में भुगतान की सूचना और विनिमय पोत परिवहन दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रुपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है और यह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना सी ए ए एंड ए वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को दे दी गई है।

4(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खंड-5 विविध व्यवस्थाएं

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग पर रिपोर्ट

आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में ए/बी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

5(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना

आयातक को इस अनुदान सहायता के अधीन इस्पात की मदों के आयात के सम्बन्ध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डालते हों।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा अनुबंध-1 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद निपटाने से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

5(4) भविष्य अनुदेश

जापान से 1982-83 के लिए अनुदान सहायता के अधीन आयातों से उत्पन्न या उनके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी भी मामले या सभी मामलों के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों को और सभी दायित्वों का आयातक को तुरन्त पूरा करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबंधों की सूची :—

अनुबंध 1:—ए/पी जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

अनुबंध 2:—ए/पी का प्रपत्र

अनुबंध—1

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र"

सं० दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :—1982-83 के लिए जापान अनुदान सहायता के अधीन जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से इस्पात की मदों के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे भेजते हैं जिससे कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) अधिप्राप्ति के तरीके—क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणो सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(ग) माल का संक्षिप्त विवरण

(घ) माल का उद्गम देश

(ङ) संविदा का कुल लागत और भाडा मूल्य (येन मे)

(च) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए मे भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन मे)

(छ) वह कुल लागत तथा भाडा मूल्य (येन मे) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(ज) जापानी सभरको के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक।

(झ) जापानी सभरक का नाम और पता।

(ञ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदाओ के अन्तर्गत भुगतान देय होगे।

(ट) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां।

(ठ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो का भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए)।

(ड) पोत लदान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण/आंशिक पोत लदान निर्दिष्ट कीजिए)

(ढ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

भवदीय,

अनुबंध—3

सं० एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा मे,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :—1982-83 के लिए येन 1 5 बिलियन की जापान अनुदान सहायता के अधीन छोटे आकार की इस्पात की छडो के आयात के लिए भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ · · · · को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट मे दिए गए यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री को · · · · येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे मे सभरको को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट मे यथा संकेतित लदान दस्तावेजो के आधार पर किया जाएगा।

4 आयातक द्वारा आपको दस्तावेज सभरको एवं बैंकरो के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाडे सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाडे आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5 जैसे ही जापानी सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र मे इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6 इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र · तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1 आयातक को उनके पत्र सं० दिनांक के संदर्भ मे।

2 आयातक का बैंक . उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो, ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी सभरको को येन भुगतान मे बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करे। सभरको का चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी सभरको का भुगतान करने तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजो का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली मे जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओ या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आरक्षित) के नाम मे और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहि इस संबंध मे आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233-आईटीसी(पीएन)/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी(पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमे धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवासिज 843 सिविल डिपाजिट्स डिपाजिट्स फार परचेजिस एटसेट्रा एब्राड-परचेजिज ग्राण्ड एंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1982-83 है और विस्तृत लेखा शीर्षक" "छोटे आकार की इस्पात की छडो के आयात के लिए जापान से येन 1 5 बिलियन अनुदान सहायता है" "येन 50 मिलियन ग्रान्ट एड फार परचेज आफ दि जिमनस्टिक एंड स्पोर्टस इक्विपमेंट/सर्विसिस फार दि परचेज आफ प्रोमोटिंग फिजिकल एज्यूकेशन एण्ड स्पोर्टस डवेलपमेंट इन इंडिया" है।

जिन मामलो मे तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी(पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमे चालान की मूल रूप मे एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक ...4-10-1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी ... उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, ब्याज की सूचना ... धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है चुकाई गई ... जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग और उसके ... को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संवाहक ... के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव (डी ए ...) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 21—ITC(PN)|83

New Delhi, the 28th June, 1983

Subject : Licensing Conditions for import of small size steel bars and services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion.

File No. IPC|23(2)|83.—The terms and conditions governing the licensing conditions for import of small size steel bars services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion dated 1-2-1983 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

P.C. JAIN, Chief Controller
Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)|83 dated 28th June, 1983

Licensing Conditions for import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion.

Section I-General Conditions

I(i) The Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of small size steel bars and services necessary for their transportation to ports in India by the Steel Authority of India Ltd. This grant aid is valid upto 31-3-1984.

I(ii) All banking charges payable to the Bank of India, Tokyo may be remitted through normal banking channels. Payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India.

I(iii) The steel bars and services incidential thereto should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I(iv) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1984".

I(v) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any in no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost & freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I(vi) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

Section II.—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II(i). The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 1st February, 1983 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83 and will be subject to the approval of both the Government.

II(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

II(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II(iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this pur-

pose he would keen the Embassy of India,Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved ad notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section-III Contract Approval by Governments of India and Japan.

III(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respect together with two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex I.The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III(ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III(iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form of Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs. Ministry of Finance.

III(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India. Tokyo the importers' Bank in India and the C.A A.&A.

III(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV Responsibility for rupee deposit

IV(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (n) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account as described below :—

The importer i.e. Steel Authority of India Ltd. (SAIL) would deposit the cost of the imported steel bars computed on the basis of the indigenous price of steel reduced by the amount of customs duty paid by it plus 4% of the service charges on C&F value and other charges like handling, railway freight etc. The difference between the C&F value of the imported steel bars and the amount actually deposited by the importer as stated above would be later adjusted in the subsidy payable by the Department of Steel to CAA&A and budgeted for in 1983-84. No interest charges would be payable by the importer on the amount which will be adjusted between the Deptt. of Steel and CAA&A and for the period of differance between the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese supplier and the date of actual rupee deposits made by them with their bankers in India."

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No.8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India Any change in

this regard will be notified as and when necessary. **It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Accounts before the import documents are handed over to the importers.** The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

The Head of Account to which the above rupee deposit should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1982-83, Grant for purchase of the steel items.

IV(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari. Delhi, or if this is not possible should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Banks of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-1968 No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971.

IV(iii) While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the Japanese supplier.

(d) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V Miscellaneous provisions

V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of steel items under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V(iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1982-83 from Japan.

V(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V(vi) List of Annexures :

Annexure I—Request for issue of A|P

Annexure II—Form of A|P.

ANNEXURE I

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Ist Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001

Subject : Import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

Sir,

In connection with the import of steel items from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(c) Brief description of the goods.

(d) Origin of the goods.

(e) Gross C & F Value of contract (in Yen).

(f) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any payable in Indian rupees.

(g) Net C&F Value (in Yen) for which the A|P is required.

(h) Number & date of the contract with Japanese Suppliers.

(i) Name and Address of the Japanese Supplier.

(j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(k) Expected date of completion of deliveries.

(l) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(m) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(n) Name and Address of the Importer's bank in India.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

No. F

Govt. of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Import of small size steel bars under Japanese Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83—Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen to M|s. as per details given in the Appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents, and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's Bank.

6. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A|P will remain valid upto— ———.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer————with reference to their letter No.————dated———.

2. Importer's Banker———————They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notices No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that those deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Natonalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC (PN)|68 dated 24-10-68, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-76. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposits—Deposits for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1982-83' under detailed head "Yen 1.5 billion grant aid for import of small size steel bars from Japan".

One copy of the challan in original in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

3. In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

393 GI/83—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983